अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

निशि दीक्षित पत्नी श्री राजीव दीक्षित निवासी 6/217, एस.एफ.एस. मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

श्री विश्वनाथ दीक्षित निवासी 92, शिव कालोनी हरिमार्ग टौक रोड, जयपुर ।

श्री राजीव दीक्षित निवासी 6/217, एसएफएस मानसरोवर, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.03.2021 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 51/2019 ब–उनवानी विश्वनाथ दीक्षित बनाम निशि दीक्षित

उपस्थित :–

अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है ।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मय प्रतिनिध उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 19.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 51/2019 ब–उनवानी विश्वनाथ दीक्षित बनाम निशि दीक्षित में पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 से व्यथित होकर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पिटीशन नं॰ 8411/2021 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना मेंयह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या एक व 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से तहत रिकार्ड तलब किया गया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा–22 R/W 24 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह प्रार्थना की गई की अपीलकर्त्ता के साथ–साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की सम्पति 92, शिव कॉलोनी, हरि मार्ग टोंक रोड जयपुर से बेदखल किया जाकर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 को सौंप दिया जावे। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रक्रिया, 1908 के साथ–साथ भरण पोषण अधिकरण के समक्ष शिकायत की पोषणीयता के संबंध में दायर की गई। प्रार्थना पत्र में शिकायत केवल अपीलान्ट को परेशान करने

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के लिये प्रत्यर्थी संख्या 2 की मिलीभगत से दर्ज की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत प्रस्तुत कर अपीलान्ट को उसके वैवाहिक घर से बाहर निकालने और कानूनो के तहत बचाव करने का एक उपाय है। घरेलू हिंसा से संबंधित यह विशेष रूप से कहा गया है कि अधीनस्थ अधिकरण के पास अपीलान्ट को बेदखल करने एवं बहू के विरूद्ध आदेश पारित करने की शक्तियां प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाब दाखिल करते हुये कहा कि सी.पी.सी. 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन केवल मात्र सिविल वाद में प्रस्तुत किया जाता है अन्य किसी कार्यवाही में प्रस्तुत नहीं किया जाता है । इसलिए प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रकरण किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत नहीं होने से दिनांक 18.12.2019 को प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज कर दिया गया। आदेश दिनांक 18.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष के एस.बी. रिट याचिका संख्या 398/2020 दायर की गई। दिनांक 27.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 11.02.2020 को उभय पक्षो के अभिभाषक के अनुरोध पर सौहार्दपूर्ण समाधान की सम्भावना तलाशने के लिये प्रकरण मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.01.2020 को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष जवाब पेश किया जिसे रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 05.02.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने शपथ पत्र पेश किया। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलकर्ता एवं प्रत्यर्थी को साक्ष्य के लिये दिनांक 20.02.2020 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 20.02.2020 को अपीलार्थी ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये समय चाहा जिसमें आगामी पेशी दिनांक 05.03.2020 नियत की गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के मध्यस्थता केन्द्र की रिपोर्ट के इन्तजार में कार्यवाही को स्थगित करने का निवदेन किया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 13.03.2020 को प्रकरण जवाब और बहस हेतु नियत किया गया। उक्त दिनांक पश्चात कोरोना महावारी के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नही होने से प्रकरण दिनांक 13.01.2021 नियत की गई। दिनांक 13.01.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा प्रकरण दिनांक 21.01.2021 को नियत किया गया। दिनांक 21.01.2021 को अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण वास्ते बहस दिनांक 28.01.2021 नियत की गई। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 28.01.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की बहस सुनी एवं आदेश सुरक्षित रख लिया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 03.03.2021 को प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। आदेश दिनांक 03.03.2021 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई जिसे दिनांक 01.05.2023 के तहत खारिज कर प्रकरण अपीलीय अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक से चार सप्ताह में पेश करने का निर्णय पारित किया। अपीलान्ट द्वारा दिनाकं 11.05.2023 को डी.बी. सिविल अपील दायर की गई एवं दिनांक 18.07.2023 को विड्रा किये जाने से खारिज कर दी गई जिसकी प्रति पेश की गई है। अपीलान्ट दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 18.07.2023 तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी थी। दिनांक 19.07.2023 से दिनांक 23.08.2023 तक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में अपीलान्ट को समय लगा। प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही विना देरी के प्रकरण अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के मध्यस्थता केन्द्र की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ अधिकरण की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 03.03.2021 की आदेशिका का अवलोकन से ज्ञात होगा की प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.02.2021 का उल्लेख कर हस्ताक्षर किये है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र भरण पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकरण विचारणीय नहीं है। अधिनियम की धारा–2 (बी) में भरण पोषण को परिभाषित किया गया है भोजन, कपडे, निवास, चिकित्सा देखभाल और उपचार के प्रावधान शामिल किये गये है। कल्याण को कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है वरिष्ठ नागरिको के लिये भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन केन्द्र और अन्य आवश्यक सुविधायें। प्रत्यर्थीगण और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मिलीभगत कर अपीलान्ट को पीटा गया। वर्तमान प्रकरण महिलाओ की सुरक्षा करने वाले कानूनो के तहत बचाव करने के लिये दायर किया गया है। जिस घर के लिये प्रकरण दायर किया गया है वह घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत एक साझा घर है, इसलिए अपीलान्ट अधिनियम 2005 के धारा–19 के तहत निवास के आदेश के लिये हकदार है। यदि 2007 के अधिनियम की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि इसमें बहू को बेदखल करने की शक्ति निहित है तो यह अधिनियम 2005 के तहत न्यायिक प्राधिकरण को शक्तिहीन बना देगा। इसलिए साझा घर से बहू को बेदखल करने हेतु अधीनस्थ अधिकरण विचार नहीं कर सकता है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ अधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश एस. वनिता बनाम उपायुक्त बैंगलुरू एवं अन्य के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि प्रकरण बहू के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 निरस्त फरमाया जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी वरिष्ठ नागरिक है जो अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति पर 92 शिव कालोनी हरिमार्ग टौंक रोड जयपुर में विगत चालीस वर्षो से निवास करते आ रहे है। प्रत्यर्थी के दो पुत्र एवं पुत्री है। बड़ा पुत्र प्रत्यर्थी से विगत 14 वर्षो से अपने परिवार सहित अलग रहता है। प्रत्यर्थी की पुत्री का 19 वर्ष विवाह हो चुका है और वह अपने पति के साथ रह रही है। प्रत्यर्थी का छोटा पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं उसकी पत्नी निशि दीक्षित विगत फरवरी 2018 तक प्रत्यर्थी के मकान में रहे थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 के छोटे पुत्र राजीव प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी अपीलार्थी निशि दीक्षित प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य पत्नी मतभेदों के चलते निशि दीक्षित अप्रार्थी संख्या 1, प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी का कई वर्षो से गाली गैलोच व चूते चप्पलों से मारने की कौशीश झूंठे केसों में फंसा कर जेल भिजवाने की धमकी देने रहने से परेशान होकर प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी ने अपने पुत्र राजीव व उसकी पत्नी अपीलार्थी निशि दीक्षित से उक्त स्व अर्जित मकान को खाली कराने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनाक 03.03.2021 विधि सम्मत पारित किया गया है जो, उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपलीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि वह उक्त विवादित मकान को छोड़ कर अन्यत्र रहने लग गया है। प्रतयर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के कथनों का समर्थन कर अपील खारिज किये जाने के निवेदन किया ।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश 03.03.2021 को अपास्त करने एवं मकान नम्बर 92, शिव कालोनी हरिमार्ग टोंक रोड जयपुर से अपीलार्थी को बेदखल नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ अधिकरण ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अधिकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि अपीलार्थिया अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष दिनांक 13.03.2020 तक उपस्थित हुई है इसके पश्चात भी उपस्थित नहीं हुई है। अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 को पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपने स्व अर्जित मकान से अपीलार्थी को बेदखल कर कब्जा चाहने का परिवाद पेश किया गया । जिस पर दिनांक 03.03.2021 को अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने पर मकान से बेदखल किये जाने का एक पक्षीय आदेश पारित किये है। चूंकि अपीलार्थी के विरूद्व अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष संस्थित कार्यवाही की उसे जानकारी थी। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नही है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उन्हें सुनवाई की कोई सूचना नहीं दी गई और एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट विश्वनाथ दीक्षित ने विवादित मकान नम्बर 92 का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अपने पक्ष में जारी किये गये पट्टे की फोटो प्रति पेश की है। जिससे विवादित मकान रेस्पोडेन्ट विश्वनाथ के मालिकाना हक की होने की पुष्टि होती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति मकान 92 शिव कालोनी हरिमार्गटोंक रोड जयपुर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा रेस्पोडेन्ट विश्वनाथ दीक्षित को सम्भलाने के आदेश पारित किये गये है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है॥

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हों।

10. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner